

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री इन्द्र सिंह राव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या— 08/2018

बउनवान

सिराज पुत्र अहमद नूर जाति—मुसलमान उम्र 40 वर्ष निवासी—सीसवाली
तहसील—मॉंगरोल जिला—बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार, सीसवाली

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपरिस्थिति :-1. श्री कमलदीप सिंह हाडा, अभिभाषक

(अपीलांट)

2. परोकार सरकार

(रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक— 17.07.2019

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली के आदेश दिनांक 26.02.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—सीसवाली, तहसील—मॉंगरोल की आराजी खसरा नम्बर 2344 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म—चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 1200/—रूपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं कानूनी मान्यता प्राप्त सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके पर कब्जे बाबत कोई पुष्टि नहीं की, पडौसी खेत वालो की कोई साक्ष्य रेकार्ड पर नहीं लेकर मात्र पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को सुनवायी एवं जवाबदेही का अवसर दिये बिना एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है व जुर्माना बकाया नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर एकतरफा निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दंडादेश निरस्त फरमाया जाकर, दोषमुक्त घोषित किया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांट का विवादित

आराजी पर कोई कब्जा नहीं है, कब्जा पूर्व से ही छोड़ रखा है। रिपोर्ट हल्का पटवारी दिनांक 28.12.2017 पत्रावली में मौजूद है। साथ ही निवेदन किया कि अपीलांत विवादित आराजी पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती बाबत स्वतंत्र गवाहान के बयान एव बेदखलीनाम नहीं है। ऐसी स्थिति में पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.04.2016 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांत के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांत विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 122/15 निर्णय दिनांक 12.03.2015 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांत व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांत को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है, जिसपर अपीलांत पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 2344 रकबा 1.00 है0 ग्राम सीसवाली से पूर्व में मिसल नम्बर 122/15 निर्णय दिनांक 12.03.2015 से भी बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही सजायाब करने का आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांत की अपील सारहीन होने खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली द्वारा प्रकरण संख्या 115/16 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर, बारां

